न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां(राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 56 / 2017 **दायर दिनांकः 27. 04. 2017**

उनवान

1. रामभरोषी बाई आयु 35 वर्ष पुत्री माधो लाल पत्नी कंवर लाल जाति मीणा निवासी खुरी तहसील अटरू हाल घोड़ी गांव तहसील अन्ता जिला बारां (राज.)

वादिया

बनाम

1. गगन आयु 28 वर्ष बेवा रधुवीर जाति मीणा निवासी खुरी
2. किरण आयु 8 वर्ष पुत्री रघुवीर नाबालिग जर्ये वली माता गगन बेवा रघुवीर जाति मीणा निवासी खुरी तहसील अटरू
3. काली आयु 6 वर्ष पुत्री रघुवीर नाबालिग जर्ये वली माता गगन बेवा रघुवीर जाति मीणा निवासी खुरी तहसील अटरू
4. भूली बाई आयु 4 वर्ष पुत्री रघुवीर जर्ये वली माता गगन बेवा रघुवीर जाति मीणा निवासी खुरी तहसील अटरू
5. मनीषा आयु 2 वर्ष पुत्री रघुवीर नाबालिग जर्ये वली माता गगन बेवा रघुवीर जाति मीणा निवासी खुरी तहसील अटरू जिला बारां
6. अयोध्या बाई आयु 50 वर्ष पुत्री माधोलाल पत्नी जमना लाल जाति मीणा निवासी खुरी तहसील अटरू हाल हरिपुरा तहसील बारां
7. कैलाशी बाई आयु 45 वर्ष पुत्री माधो लाल पत्नी हरी चन्द जाति मीणा निवासी खुरी तहसील अटरू जिला बारां (राज0)
8. शाखा प्रबन्धक महोदय भारतीय स्टेट बैंक शाखा अटरू जिला बारां
9. शाखा प्रबन्धक महोदय यूनियन बैंक आफ इण्डिया शाखा बारां
10. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब तहसील अटरू जिला बारां

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 53, 183, 188 आर टी एक्ट

उपस्थिति :—

वादी :— विद्वान अभिभाषक श्री मोहन लाल सुमन

प्रतिवादीगण :— विद्वान अभिभाषक श्री भगवान स्वरूप मंगल, श्री महेन्द्र सिंह हाड़ा,

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.04.05 15:56:48 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय दिनांक 17 / 03 / 2021

पत्रावली पेश हुई,वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि वादी ने यह दावा अर्न्तगत धारा 88, 89, 91, 53, 183, 188 काश्तकारी अधिनियम आर टी एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल खुरी तहसील अटरू जिला बारां में वादिया के पिताजी माधोलाल पुत्र रोडू जाति मीणा निवासी खुरी तहसील अटरू जिला बारां के स्वामित्व एवं कब्जे काश्त की आराजी ख0 नं0

327 का रकबा 3.98 है0 आराजीयात स्थित थी और है। वादिया के पिता माधोलाल के वारिसयान का सजरा निम्न प्रकार हैः—

माधोलाल (मृतक)

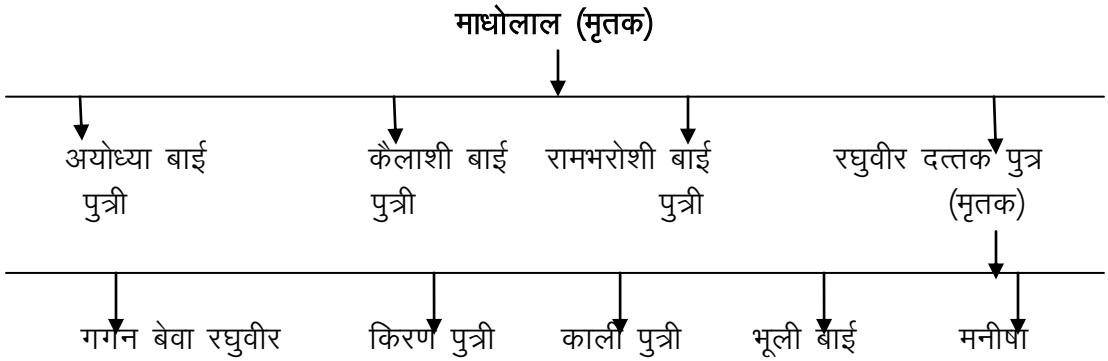

अयोध्या बाई पुत्री | कैलाशी बाई पुत्री | रामभरोशी बाई पुत्री | रघुवीर दत्तक पुत्र (मृतक)

गर्गन बेवा रघुवीर | किरण पुत्री | काली पुत्री | भूली बाई | मनीषा

स्वर्गीय माधोलाल ने अपने जीवनकाल में रजिस्टर्ड गोदनामा द्वारा अपनी पुत्री कैलाशी बाई के पुत्र रघुवीर प्रसाद को गोद लिया था इस वजह से माधोलाल के वारिसान सजरे के मुताबिक अयोध्या बाई, कैलाशी बाई, रामभरोसी बाई, रघुवीर प्रसाद है और माधोलाल के स्वर्गवास के बाद मे फोती इन्तकाल इन चारों के नाम तथा माधोलाल की सेवा बिरधी बाई के नाम खुलना चाहिए था अर्थात वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी माधोलाल के सभी वारिसान के नाम खाता दर्ज होनी चाहिए था लेकिन अवैधानिक एवं गैर कानूनी तरीके से नामान्तरण सं0 91 दिनांक 14.04.1998 से वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी दत्तक पुत्र रघुवीर प्रसाद तथा बेवा बिरधी बाई के नाम खाता दर्ज कर दी और माधोलाल की बेवा बिरधी बाई के स्वर्गवास होने के बाद में भी अवैधानिक एवं गैर कानूनी तरीके से नामान्तरण सं0 254 दिनांक 30.01.2002 को वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में 1/2 हिस्से में रघुवीर प्रसाद के नाम खाता दर्ज करदी तथा 1/2 हिस्सा अयोध्या बाई पुत्री माधो लाल पत्नी जमला लाल जाति मीणा के नाम खाता दर्ज करदी और रामभरोसी बाई वादिया माधोलाल की पुत्री है जिसका वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी ख0 नं0 327 का रकबा 3.98 है0 माल खुरी पर 1/4 हिस्सा बनता है इस वजह से वादिया वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करती है कि निम्न आशय की डिक्री बहक वादिया विरूद्ध प्रतिवादीगण पारित की जावे कि नामान्तरण सं0 91 दिनांक 14.04.1998 तथा नामान्तरण सं0 254 दिनांक 30.01.2002 बहक रधुवीर प्रसाद, बिरधी बाई तथा रघुवीर प्रसाद, अयोध्या बाई अवैधानिक एवं गैर कानूनी होने की वजह से प्रभाव शून्य घोषित किया जाकर खारिज फरमाया जावे तथा वादिया को आराजी ख0 नं0 327 का रकबा 3.98 है0 माल खुरी तहसील अटरू पर 1/4 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जावे तथा आराजी का विभाजन किया जाकर हिस्सा 1/4 पृथक से वादिया के खाते दर्ज किया जावे तथा 1/4 हिस्सा वादिया पर से प्रतिवादीगण को बेदखल करके कब्जावादिया को दिलाया जावे तथा स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिवादीगण को पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादिया के स्वामित्व की आराजी पर वादिया को शान्ती पूर्वक काश्त करने देवे जबरन कब्जा नहीं करें। दत्तक पुत्र रघुवीर प्रसाद का स्वर्गवास हो गया है उसके वारिसान प्रतिवादी कम 1 लगायत 5 है। खातेदारान ने प्रतिवादीगण कम 8 व 9 के यहां से ऋण ले रखा है इस वजह से जिन प्रतिवादीगण ने ऋण ले रखा है उस ऋण का नोट उसके खाते पर लगाया जावे। वादिया [illegible] नामान्तरण संख्या 91 तथा 254 की जानकारी दिनांक 15.02.2008 को हुई जब वादिया अपने पैतृक गांव घर [illegible] आई तो बहन ने कहा कि अपने पिताजी की जमीन में अपना नाम नहीं है उसके बाद में वादिया ने अयोध्या बाई बहन से कहा कि आपने हमारा नाम क्यों नहीं लिखाया तो अयोध्या बाई ने [illegible] दिया और दिनांक 09.05.2008 को धमकी दी कि जमीन को भी बेचेगें। इसके बाद में वादिया ने नामान्तरण की तथा खाते की नकलें प्राप्त की उसके बाद यह वाद प्रस्तुत कर रहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.04.05 16:56:48 IST
Reason: SelfAttested

अतः माननीय न्यायालय में वादिया द्वारा वाद प्रस्तुत किया गया जिसका निर्णय दिनांक 17. 02.2016 को हुआ। उक्त निर्णय की प्रतिवादीगण द्वारा राजस्व अपीलीय प्राधिकरण कोटा अपील की गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा उक्त निर्णय दिनांक 17.02.2016 को अपास्त कर इस निर्देश के साथ मामले को पुनः उपखण्ड न्यायालय अटरू को भेजा गया कि प्रतिवादीगण को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करने का ऑल्ड हिन्दू लॉ के परिपेक्ष्य में नये सिरे से विधी सम्मत निर्णय पारित करें। उक्त आदेश की पालना में वादिया वाद प्रस्तुत कर निवेदन करती है कि निम्न आशय की डिक्री बहक वादिया विरूद्ध प्रतिवादीगण पारित की जावे कि :–

(अ) नामान्तरण संख्या 91 दिनांक 14.09.1998 तथा नामान्तरण सं0 254 दिनांक 30.01.2002 बहक रघुवीर प्रसाद तथा बेवा बिरधी बाई तथा अयोध्या बाई अवैधानिक एवं गैर कानूनी होने की वजह से उन्हें प्रभाव शून्य घोषित किया जाकर खारिज किया जावे।

(ब) वादिया को वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी ख0 नं0 327 का रकबा 3.98 है0 आराजी माल खुरी तहसील अटरू मे 1/4 हिस्से पर खातेदार कृषक घोषित किया जावे तथा आराजी का विभाजन किया जाकर वादिया का 1/4 हिस्सा पृथक से वादिया के खाते दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को वादिया के स्वामित्व की आराजी पर से बेदखल किया जाकर कब्जा वादिया को दिलाया जावे तथा स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिवादीगण को पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादिया को शान्ती पूर्वक काश्त करने देवे ।

(स) बैंक ऋण का नोट प्रतिवादीगण के खाते पर अंकित किया जावे जिसने ऋण ले रखा है।

(द) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादी को प्रदान की जावे।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादी की तलबी की गई। प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 5 व 7 की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत होकर शामिल मिसल है जिसमें कथन किया गया है कि वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में मुताबिक सजरा प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 का नाम खाते में दर्ज हो चुका है जिसके पश्चात प्रतिवादी क्रम 7 द्वारा प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 के पक्ष में हक त्याग कर दिया जिसके अनुसार प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 आराजी के हिस्सा 1/2 को काश्त करते चले आ रहे हैं। इसी अनुसार/ प्रतिवादीगण वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी का खाता विभाजन करवा कर मुताबिक हिस्सा 1/2 पृथक से अपने खाते दर्ज कराने के अधिकारी है।

अतः जवाब दावा पेश कर निवेदन है कि विवादग्रस्त आराजी के हिस्सा 1/2 को पृथक से प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 के खाते दर्ज किया जावे। प्रतिवादी क्रम 6 जवाब दावा प्रस्तुत होकर शामिल मिसल है। प्रतिवादिया क्रम 6 अयोध्या बाई की माता बिरधी बाई ने अपने जीवनकाल मे मरने से पूर्व प्रति0 क्रम 6 के पक्ष में दिनांक 24.03.2000 को उप पंजीयक महोदय, अटरू के समक्ष वसीयतनामा रजिस्टर्ड करवाया है। रजिस्टर्ड वसीयत नामा के आधार पर ही मृतक बिरधी बाई के खाते 1/2 हिस्से की आराजी प्रति0 क्रम 6 के नाम फोती इन्तकाल खुलकर खातेदारी अधिकार प्रदान किये है, खातेदार मृतक बिरधी बाई ने प्रति0 क्रम 6 के पक्ष में वसीयतनामा करवाया है जो कानूनी तौर पर सत्य एवं सही है। वादिया का दावा चलने योग्य नहीं है क्योंकि रजिस्टर्ड वसीयत नामा को निरस्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करना चाहिये था। इस प्रकार वादिया का वाद प्रथम दृष्टया खारिज होने योग्य है। विवादग्रस्त आराजी प्रतिवादी नं0 6 के हिस्से की आराजी को स्वयं प्रतिवादिया अयोध्या बाई ही काश्त करती चली आ रही है। अभी भी प्रतिवादिया का ही कब्जा चला आ रहा है। वादिया का इस आराजी पर कभी भी कोई कब्जा नहीं रहा है। वादिया ने प्रति0 को परेशान करने व आर्थिक नुकसान पहुंचाने की नियत से वाद प्रस्तुत किया है जो निरस्त होने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.04.05 15:56:48 IST
Reason: SelfAttested

अतः माननीय न्यायालय से जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीया का वाद मय खर्चा खारिज फरमाया जावे तथा वादिया से प्रतिवादिया को हर्जा–खर्चा दिलवाया जावे। नियत तारीख पेशी पर न्यायालय मे उपस्थित नहीं होने के कारण प्रतिवादी क्रम 8 व 9 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। दावे एवं जवाब दावे के आधार पर निम्न लिखित तनकीयात कायम किये गये।

तनकी सं0 – 01. आया वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी वादिनी के पिता माधो लाल के खाते की है तथा सजरे के मुताबिक वादिनी का 1/4 हिस्सा वाद पत्र के मद नं0 1 में वर्णित आराजी पर बनता है।

भा.सं0 वादिनी

तनकी सं0 – 02. आया नामान्तकरण सं0 ''91'' दिनांक 14.09.1998 तथा नामान्तकरण सं0 254 दिनांक 30.01.2002 बहक रघुवीर प्रसाद तथा बेवा बिरधी बाई अयोध्या बाई अवैधानिक एवं गैरकानूनी होने की बजह से उन्हे बादिनी प्रभाव शून्य घोषित करा पाने की अधिकारी है।

भा.सं0 वादिनी

तनकी सं0 – 03 आया वादिनी वाद पत्र के मद नं0 1 में वर्णित आराजी में अपना 1/4 हिस्सा दर्ज कराकर उसका विभाजन कराकर पृथक से अपने नाम खाता दर्ज कराकर कब्जा प्राप्त करने की अधिकारी है।

भा.सं0 वादिनी

तनकी सं0 – 04 आया बिरधी बाई द्वारा रजिस्टर्ड बसीयत नामा प्रतिवादी क्रम 6 के पक्ष में दिनांक 24.03.2000 को करवाया जिसके आधार पर 1/2 हिस्सा प्रतिवादी क्रम 6 के नाम खाता दर्ज हुआ है।

भा.सं0 प्रतिवादी क्रम 6

तनकी सं0 – 05 आया प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 5 का 1/4 तथा कैलाशी बाई का 1/4 हिस्सा था और कैलाशी बाई द्वारा प्रतिवादी क्रम 1 ल 5 के पक्ष मे हक त्याग कर दिया है इस बजह से प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 5 का 1/2 हिस्सा बनता है। जिस पर वह काबिज है जिसका विभाजन कराकर पृथक से अपने नाम दर्ज कराने के अधिकारी है।

भा.सं0 प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 5

तनकी सं0 – 06 दादरसी।

साक्ष्य वादी के अन्तर्गत Pw_1 पर वादीया के बयान होकर शामिल पत्रावली है। साक्ष्य प्रतिवादी के अन्तर्गत Dw_1 पर प्रतिवादी गगन, Dw_2 पर प्रतिवादी कैलाश बाई, Dw_3 अयोध्या बाई एवं Dw_4 कालूलाल के बयान होकर शामिल पत्रावली है। वसीयतनामा संख्या 21 दिनांक 24.03.2000 पेश कर प्रदर्श कराया गया। अभिभाषक प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 5 द्वारा मीना जनजातिय समुदाय पर आल्ड हिन्दू लॉ के प्रयोज्यता (applicability) के परिपेक्ष्य में मौखिक बहस की गई ।

उभय पक्ष की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया । प्रकरण का तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार से किया जाता हैः–

तनकी सं0 – 01. आया वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी वादिनी के पिता माधो लाल के खाते की है तथा सजरे के मुताबिक वादिनी का 1/4 हिस्सा वाद पत्र के मद नं0 1 में वर्णित आराजी पर बनता है। इस तनकी को साबित करने का भार वादिया पर था। वादिया द्वारा अपने वाद पत्र की मद सं0 2 में मृतक माधो लाल का सजरा पेश किया है जिसमें मृतक माधो लाल का सजरा पेश किया है जिसमें मृतक माधोलाल के कुल चार वारिस वर्णित है 1. अयोध्या बाई (पुत्री) 2. कैलाशी बाई (पुत्री) 3.रामभरोसी बाई (पुत्री) 4. रघुवीर (दत्तक पुत्र) जिसे प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार किया गया है।

माधोलाल की मृत्यु के बाद ग्राम पंचायत [illegible] द्वारा नामान्तरण संख्या 91 दिनांक 14.04.1998 खोला गया था, जो कि वैध था मिताक्षरा विधि से शासित माधोलाल की संपत्ति का सहदायिक उसके संयुक्त हिन्दू परिवार में testamentary partition तत्समय प्रभावी हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार किया जाना था। हिन्दू उत्तराधिकर अधिनियम 1956 की धारा –6 के अनुसार किसी मितिक्षरा सहदायिक संपत्ति में सहदायिक पुरूष की मृत्यु के बाद उसकी पुत्रियों को अपना हिस्सा विभाजित कराने का अधिकार नहीं था। इस प्रकार हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम 2005 के लागू होने से पूर्व तक मितिक्षरा सहदायिक संपत्ति में पुत्रियों को अधिकार देना जरूरी नही था। इसी प्रकार अभिभाषक प्रतिवादी क्रम 1 ने बहस के दोरान यह भी अभिकथन किया कि वादी व प्रतिवादीगण अनुसूचित जनजाति

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.04.05 15:56:48 IST
Reason: SelfAttested

/आदिवासी समुदाय से है जो संविधान के अनुच्छेद 366 के क्लोज (2) 25 व अनु0 342 के अधीन कवर होते है अतः हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम 2005 की धारा 2 (2) के अनुसार यह अधिनियम इस ट्राइबल समुदाय पर लागू नही होता है हाडौती क्षैत्र की मीना आदिवासी समुदाय पुराने हिन्दू कानून अर्थात मिताक्षरा कानून को गवर्न होती चली आ रही है। सदियो से 1990 के दशक तक इस जनजाति पर हिन्दूज्म का प्रभाव बहुत कम था, इनकी भाषा बोली रहन–सहन, रिती रिवाज,उत्सव उत्तराधिकार के नियम आदि इनके स्वयं के समज के customary law के अनुरूप थे। देश व राज्य के अन्य क्षैत्री (regias) की मीणा जनजाति निरपेक्ष हाडौती का मीना आदिवासी समाज आज 20–30 वर्ष पूर्व पूर्णतः सामाजिक रूप से पृथक, पिछडा व रूढिवादी समाज था जो अपने local customary laws/ rules से गवर्न होता था इनका संपत्ति विभाजन का सिद्धान्त मिताक्षरा हिन्दू कानून के अनुसार संचालित होता रहा है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मधुकिशवार एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य (1996) 5 SCC 125 मामले में स्पष्ट किया कि ''जो जनजाति अपने customary laws से गवर्न होती है उन पर नया हिन्दू उत्तराधिकार कानून लागू नही होगा''। अलग–अलग क्षेत्रों व अलग–अलग लोगों की रिति रिवाज व परम्पराएँ भिन्न–भिन्न हो सकते है। भिन्न –भिन्न क्षैत्रों के आदिवासियों पर हिन्दूज्म का प्रभाव भिन्न हो सकता है। इसी प्रकार बुताकी बाई बनाम सुखबती (2014) मामले में छत्तीसगढ उच्च न्यायालय ने भी स्पष्ट किया है कि ''संपत्ति पर उत्तराधिकार के मामले में जरूरी है कि उस जनजाति का पूर्णतः या प्रमुखता से हिन्दूत्वीकरण हो गया हो''। जो जनजाति आज भी अपने मूल customs को follow कर रहे है। उन पर नया हिन्दू उत्तराधिकार कानून लागू होना आवश्यक नही है। यद्यपि इस बात से इन्कार नही किया जा सकता कि 21 वी सदी में (विगत 15–20 वर्षों) हाडौती का आदीवासी समाज पर हिन्दूज्म (Hindusm) का प्रभाव बढ़ता गया है।

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादिया पर था और वादिया इस बात को सिद्ध करने में विफल रही कि मीना जनजाति समुदाय पर तत्समय के दशक(1990) में हिन्दू उत्तराधिकार (सशोधन) अधिनियम 2005 लागू होगा, न कि पुराना हिन्दू कानून।

उक्त विवेचन विश्लेषण के आधार पर माधोलाल की संपत्ति में पुत्रियों को हिस्सा दिया जाना आवश्यक नही था। अतः ग्राम पंचायत खुरी द्वारा तत्समय खोला गया नामान्तरण संख्या 91 दिनांक 14.04.1998 विधिक रूप से वैध है। प्रतिवादीगण बेवा बिरधी बाई एवं रघुवीर (दत्तक पुत्र) को 1/2 , 1/2 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड में कराने के हकदार थे।

प्रतिवादी कमं 6 द्वारा अपने जवाब दावे में कथन किया गया है कि बिरधी बाई द्वारा अपने खाते में दर्ज विवादित आराजी का हिस्सा 1/2 की वसीयत उसके नाम कराई थी जिसके आधार पर नामान्तरण सं0 254 दिनांक 30.01.2002 तस्दीक होकर आराजी प्रतिवादी कमं 6 के नाम दर्ज हुई थी।

इसी प्रकार नामान्तरण संख्या 254 दिनांक 31.01.2002 भी विधिक रूप से सही है नामान्तरण संख्या 91 से बेवा बिरधीबाई के खाते 1/2 भाग दर्ज रिकार्ड हुई उक्त हिस्से वहक 1/2 को बिरधीबाई ने अपने जीवित रहते अपनी पुत्री अयोध्या बाई को जरिये रजिस्टर्ड वसीयतनामा संख्या 21 दिनांक 29.03.2000 को वसीयत कर दिया (प्रदर्श ए 1 [illegible]) बिरधी [illegible] अपने 1/2 हिस्से व हक को अपने जीवनकाल में अपनी पुत्री अयोध्याबाई के नाम वसी[illegible] करने की कानूनी रूप से पूर्ण हकदार थी। अतः नामा0 सं0 254 दिनांक 30.01.2002 कानूनी रूप से वैध है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.04.05 15:56:48 IST
Reason: SelfAttested

उक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर [illegible] की सं0 1 प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी सं0 – 02. इसे साबित करने का भार भी वादिया पर था। तनकी नं0 1 में किये विवेचन के आधार पर यह तनकी भी प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णीत की जाती है।

तनकी सं0 – 03 विवादित आराजी सहदायिक मितक्षरा संपत्ति होने एवं तत्समय वादी व प्रतिवादीगण पर स्थानीय व सामाजिक कस्टोमरी मितक्षरा लागू होने से वादिया मृतक माधोलाल की सहदायिक संपत्ति में 1/4 हिस्सा दर्ज कराने की अधिकारी नही थी अतः वादिया उक्त विवादित आराजी पर कब्जा प्राप्त करने की अधिकारी नही है। परिणामतः तनकी नं0 3 वादिया के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी सं0 – 04 तनकी नं0 1 के विवेचन व प्रतिवादी क्रम 6 द्वारा प्रस्तुत व प्रदर्श कराई गये रजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक 24.03.2000 के आधार पर स्पष्ट है कि बिरधीबाई ने सिर्फ अपने हिस्से व हक के 1/2 भाग आराजी को प्रतिवादी क्रम 6 के नमा दर्ज रिकार्ड कराया था। जिसकी वह विधिक रूप से हकदार थी। उक्त विवेचन के आधार पर तनकी नं0 4 प्रतिवादीक्रम 6 के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी सं0 – 05 तनकी नं0 1 के विवेचन व विश्लेषण के आधार पर स्पष्ट है कि रघुवीर पुत्र माधोलाल था हिस्सा 1/2 था अतः उसके वारिसान प्रतिवादी क्रम 2 लगायत 5 अपने हिस्से व हक के 1/2 भाग को विभाजन कराकर पृथक से अपने नाम दर्ज कराने के अधिकारी है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर तनकी सं. 5 प्रतिवादी क्रम 1 ल. 5 के पक्ष में निर्णीत की जाती है।

क्रियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर वादिया का वाद खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक 17.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.04.05 16:56:48 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
<u>आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)</u>
बइजलास. श्री राम रतन सौंकरिया (आर0 ए0 एस0) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.

प्रकरण सं0 56 / 2017

उनवान

1 रामभरोषी बाई आयु 35 वर्ष पुत्री माधो लाल पत्नी कंवर लाल जाति मीणा निवासी खुरी तहसील अटरू हाल घोड़ी गांव तहसील अन्ता जिला बारां (राज.)

वादिया

बनाम

1. गगन आयु 28 वर्ष बेवा रधुवीर जाति मीणा निवासी खुरी
2. किरण आयु 8 वर्ष पुत्री रघुवीर नाबालिग जर्ये वली माता गगन बेवा रघुवीर जाति मीणा निवासी खुरी तहसील अटरू
3. काली आयु 6 वर्ष पुत्री रघुवीर नाबालिग जर्ये वली माता गगन बेवा रघुवीर जाति मीणा निवासी खुरी तहसील अटरू
4. भूली बाई आयु 4 वर्ष पुत्री रघुवीर जर्ये वली माता गगन बेवा रघुवीर जाति मीणा निवासी खुरी तहसील अटरू
5. मनीषा आयु 2 वर्ष पुत्री रघुवीर नाबालिग जर्ये वली माता गगन बेवा रघुवीर जाति मीणा निवासी खुरी तहसील अटरू जिला बारां
6. अयोध्या बाई आयु 50 वर्ष पुत्री माधोलाल पत्नी जमना लाल जाति मीणा निवासी खुरी तहसील अटरू हाल हरिपुरा तहसील बारां
7. कैलाशी बाई आयु 45 वर्ष पुत्री माधो लाल पत्नी हरी चन्द जाति मीणा निवासी खुरी तहसील अटरू जिला बारां (राज0)
8. शाखा प्रबन्धक महोदय भारतीय स्टेट बैंक शाखा अटरू जिला बारां
9. शाखा प्रबन्धक महोदय यूनियन बैंक आफ इण्डिया शाखा बारां
10. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब तहसील अटरू जिला बारां

प्रतिवादीगण

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 53, 183, 188 आर टी एक्ट</u>

उपस्थिति :–
वादी :– विद्वान अभिभाषक श्री मोहन लाल सुमन
प्रतिवादीगण :– विद्वान अभिभाषक श्री भगवान स्वरूप मंगल, श्री महेन्द्र सिंह हाड़ा,
मिनजानित मुदई रूबरू ....X............

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है डिक्री दी जाती है वादिया का वाद खारिज किया जाता है।

(दिनेश कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.04.05 16:56:48 IST
Reason: SelfAttested

निज ....X.......... मुबालिक ....X.......... [illegible] खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......X..
.... फीसदी सालाना [illegible] तक ....X..........
अदा करूंगा।मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज 17.02.2[illegible] को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान			मिजान

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.04.05 16:56:48 IST
Reason: SelfAttested